

बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

08 मार्च, 2022

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य - विधि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग].

कुल प्रश्न 19

मशीन चालू करने पर विचार

*87 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गैस्ट्रोइंट्रोलाजी सुपर स्पेशियलिटी विभाग में पेट एवं लीवर रोग के उपचार से संबंधित इंडोस्कोपी कोलनोस्कोपी जांच मशीन विगत एक वर्ष से बंद पड़ी हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि मशीनें बंद होने के कारण पेट से संबंधित बीमारियों की जांच कराने हेतु रोगियों को अन्य जगह जाना पड़ता है जिसके चलते जांच हेतु अधिक पैसा चुकाना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज के द्वारा उक्त बंद पड़ी जांच मशीनों को चालू करवाने हेतु सरकार से कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त बंद पड़ी मशीनों को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नल-कूप का निर्माण

*88 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि आर्सेनिक प्रभावित पेय जल के सेवन से मानव जीवन को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने हेतु 'हर घर नल का जल' कार्यक्रम के तहत शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है भूतल में लगभग अस्सी (80) मीटर गहराई के पश्चात् जलीय स्तर पर आर्सेनिक की मात्रा नगण्य पाये जाने की वैज्ञानिक मान्यता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सात निश्चय कार्यक्रम के तहत शुद्ध पेय जल की उपलब्धता हेतु आर्सेनिक प्रभावित जिले में खण्ड 'ख' के अनुरूप ट्रीटमेंट यांत्रिकी यूनिट के साथ गहरे नल-कूप का निर्माण करा रही है, यदि हां तो कबसे, नहीं तो क्यों?

भवन का जीर्णोद्धार

*89 मो. फारूक (विधान सभा):

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के गंगा धर्मपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की स्थिति काफी जर्जर एवं दयनीय होने के कारण आम जनता की स्वास्थ्य सेवा में बाधा पहुंच रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

ट्रान्सफार्मर लगाने पर विचार

*90 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):

क्या ऊर्जा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के मौर्या नगर में नगीना पुस्तक भंडार से सटे गली के बीचों-बीच बिजली का पोल अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि इसी रास्ते में 100 के.वी. के दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि मौर्या नगरवासी उक्त बिजली के पोल को हटाकर किनारे करने एवं 100 के.वी. के ट्रांसफार्मर के बदले 200 के.वी. का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए विभाग का चक्कर विगत तीन वर्षों से काट रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मौर्या नगर की सड़क के बीचों-बीच अवस्थित बिजली के पोल को हटाकर किनारे करने एवं 100 के.वी. के ट्रांसफार्मर के बदले 200 के.वी. के ट्रांसफार्मर लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विभागीय कार्यवाही

*91 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सुशील कुमार, लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय, आरा जो आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या- 65/2017, दिनांक – 23.08.2017 धारा 109/120वीं भारतीय दंड विधान धारा 13(2) तथा 13(1) (इ) के अन्तर्गत आरोपित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त लिपिक अभी भी सिविल सर्जन कार्यालय, भोजपुर में कार्यरत हैं और अपने प्रभावों से उक्त मुकदमों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री सुशील कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

विशेष अनुदान

*92 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):

क्या ऊर्जा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा प्रमुख है जिसके लिए सरकार काफी प्रयत्नशील है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार

बतलाएगी कि राज्य में सौर ऊर्जा आधारित इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार इसकी स्थापना पर विशेष अनुदान देने का विचार रखती है, यदि हां तो उसका क्या लक्ष्य है?

विचार कबतक

***93 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या गन्ना उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण बिहार के 5 से 7 लाख गन्ना किसानों को उचित भुगतान नहीं मिल पा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि चीनी मिल मालिकों ने राज्य सरकार से गन्ने के प्रति क्विंटल पर 40 रुपये का सॉफ्ट लोन दिलाने की मांग की है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चीनी मिल मालिकों को गन्ने पर प्रति क्विंटल 40 रुपये का सॉफ्ट लोन दिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आयोजित करने पर विचार

***94 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि जिला स्वास्थ्य समिति, रोहतास पत्रांक- 552/ जि.स्वा.स., सासाराम के आदेश द्वारा उपेन्द्र कुमार, पिता- वीरेन्द्र कुमार, ग्राम पोस्ट- नदांव, थाना- बक्सर (मु.), जिला- बक्सर के अलावे अन्य अभ्यर्थियों को प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक पद हेतु साक्षात्कार आयोजन में बुलावा पत्र भेजा गया था जिसमें निदेशित किया गया था कि 11.09.2017 के आवेदन में संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो फोटोग्राफ के साथ जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष के कार्यालय प्रकोष्ठ में 10:30 बजे सभी को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी सुनिश्चित की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि साक्षात्कार आयोजन तीन बार स्थगित किया गया जो आज तक आयोजित नहीं किया गया;

(ग) क्या यह सही है कि अभ्यर्थियों को आयोजन में उपस्थित होने के लिए आर्थिक क्षति उठानी पड़ी;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो तीन बार साक्षात्कार स्थगित करने का क्या औचित्य है और पुनः यह कब आयोजित किया जायेगा, यदि नहीं तो क्यों?

मुआवजा राशि का भुगतान

*95 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि देश के एकमात्र राज्य बिहार में कोविड संक्रमण से अपनों को खोने वाले आश्रितों के लिए सरकार मुआवजा के रूप में आर्थिक मदद कर रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार यह बताएगी कि अबतक कितने लोगों को मुआवजा राशि दी गई तथा कितने शेष बचे हैं, हां तो कबतक?

कारगर कार्रवाई

*96 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि विगत 199वें सत्र के दौरान मुजफ्फरपुर के एक निजी क्लीनिक में मोतियाबिन्द की गलत चिकित्सा की वजह से बड़ी संख्या में मरीजों की आंखों की रौशनी चली गई थी तथा पचास से अधिक मरीजों की आंखों को फ़ैल रहे संक्रमण की वजह से निकालना पड़ा था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आपराधिक लापरवाही के जिम्मेवार डॉक्टरों तथा अस्पताल संचालकों के विरुद्ध कोई कारगर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और ना ही अपनी आंखों को गंवा चुके मरीजों को समुचित मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि वह इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने जा रही है और नहीं तो क्यों?

चिकित्सा केन्द्र की स्थापना

*97 श्री सी.पी. सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत सन्हौला प्रखण्ड के जाफरा गांव के लोग आज भी चिकित्सा की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त गांव में अभी तक एक भी चिकित्सा केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गांव में चिकित्सा केन्द्र की स्थापना से सैकड़ों ग्रामीणों को लाभ होगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यथाशीघ्र चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बेड का विस्तार

***98 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि प. चम्पारण जिला अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में 75 बेड विस्तार का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेड बढ़ाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कार्रवाई का विचार

***99 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **गन्ना उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राशि आवंटित करने के बावजूद भी चीनी निगम की इकाइयों में मानदेय पर कार्यरत कर्मियों का 16-17 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राशि भुगतान नहीं करने वाले पदाधिकारी पर सरकार कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

अनुदान की राशि का भुगतान

*100 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला अंतर्गत प्रखंड- टेटिया बम्पर, पंचायत- बनहरा, ग्राम- मधैयाचक के श्री राकेश कुमार, पिता- श्री दिनेश कुमार की कोविड- 19 के कारण मृत्यु, दिनांक- 03.05.2021 को All India Medical Institute (एम्स) दिल्ली में हो गई;

(ख) क्या यह सही है कि मात्र चालीस वर्ष की उम्र में स्व. राकेश कुमार की मृत्यु हो गई, वे अपने पीछे पत्नी- पूजा देवी एवं 4 वर्ष की बच्ची को छोड़कर चले गये;

(ग) क्या यह सही है कि स्व. राकेश की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी एवं परिवार की स्थिति चरमरा गई है;

(घ) क्या यह सही है कि मृतक की पत्नी विधवा- पूजा देवी द्वारा सारे कागजात को संलग्न करते हुए अनुग्रह अनुदान की राशि के लिए आवेदन सिविल सर्जन मुंगेर एवं अंचलाधिकारी- टेटिया बम्पर, मुंगेर को प्राप्त करा दी गई है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक की पत्नी पूजा देवी को चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि ऐसे संवेदनशील मामले में यथाशीघ्र मुहैया कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

भवन की व्यवस्था

*101 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

क्या विधि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सोनपुर अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय कार्यरत है;

(ख) क्या यह सही है कि न्यायालय के लिए भूमि और भवन की समुचित व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भूमि और भवन की समुचित व्यवस्था कबतक करेगी?

आवश्यक कार्रवाई

*102 श्रीमती रोजीना नाजिश (विधान सभा):

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि वक्फ सम्पत्ति- 485, ग्राम- असौथु, अंचल- बिस्फी, जिला- मधुबनी वक्फ स्टेट ग्राम- असराहा अंचल- केवटी, जिला- दरभंगा के वक्फ बोर्ड (सुन्नी वक्फ बोर्ड) की जमीन- 255 बीघा (असौथु) अंचल- बिस्फी, जिला- मधुबनी में तथा 61 बीघा 14 कट्टा 14 धूर ग्राम- असराहा, अंचल- केवटी, जिला- दरभंगा में है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वक्फ बोर्ड की जमीन को जिला प्रशासन के कतिपय पदाधिकारियों की मिलीभगत से मनमर्जी एवं अवैध ढंग से बांट दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त वक्फ बोर्ड की 131 एकड़ जमीन को वक्फ को वापस दिलाने हेतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही इसके लिए दोषी व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वक्फ बोर्ड को जमीन वापस दिलाते हुए आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

राशि माफ

*103 डा. रामवचन राय (मनोनीत):

क्या ऊर्जा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की अनपढ़ एवं विधवा महिला सुनीता देवी पोस्टल पार्क रोड नं.- 3 करबिगहिया, पटना का लेखा संख्या- 101130081 कंकड़बाग विद्युत प्रमण्डल से घरेलू विद्युत संबंध 10.02.2006 से प्राप्त था;

(ख) क्या यह सही है कि सुनीता देवी को विद्युत विपत्र कभी मिलता था तो कभी नहीं, जिसमें एक बार विपत्र की कुल राशि 19 हजार रुपये 18.03.2016 जमा की थी, उसके बाद उसे कभी विपत्र नहीं मिलने कारण विद्युत संबंध बिना किसी सूचना के 2020 से काट दिया गया, जिसकी कुल राशि 2,09,282 रु० बताई गई है;

(ग) क्या यह सही है कि वह महिला गरीबी के कारण उक्त राशि जमा करने में असमर्थ है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त विधवा महिला के 5 धुर में निर्मित मकान में विद्युत खपत बहुत ही कम है, जिसमें केवल 2 बल्ब एवं एक पंखा का उपयोग होता है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिभार दण्ड, सूद आदि की राशि माफ करते हुए शेष उचित राशि जमा कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

बकाया का भुगतान

***104 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक- 2243, दिनांक- 29.10.2021 द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सदर प्रखंड, बेगूसराय को श्रीमती रीता कुमारी, ए.एन.एम. के बकाया वेतनादि मई 2003 से नवम्बर 2009 तक का भुगतान करने एवं इसकी सूचना 24 घंटे में देने का आदेश निर्गत किया गया परन्तु अभी तक भुगतान लम्बित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्रीमती रीता कुमारी के लम्बित बकाया वेतनादि का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई कबतक

***105 डा. एन. के. यादव (स्नातक कोशी):**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिला के सदर अस्पताल के आस-पास निजी नर्सिंग होम एवं जांच घर संचालित हो रहे हैं, आये दिन न्यूज के माध्यम से इनमें रोगियों की मृत्यु का समाचार प्रकाशित होता है;

(ख) क्या यह सही है कि सदर अस्पताल के आस-पास जो निजी नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, क्या वह सब स्वास्थ्य विभाग के मानक के अनुरूप हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?
